FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी आहोर मुकाम आहोर

तहसीलदार आहोर बनाम ......पटवारी हल्का [illegible]......

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act 1956 नम्बर......74/......सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	सम्मन व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल जारी हुए
11/11/19	तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक ....11/11/19.... के जरिये मौजा ......[illegible]...... के वर्तमान खसरा नम्बर ......3/95...... में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक ...13.11.2019... को पेश हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** आहोर, जिला–जालोर (राज.)	
13-11-19	पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थीगणो के नोटिस तामील। अप्रार्थी तामील पश्चात भी पत्रावली शामिल हो। निर्णय पृथकतः लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर आम अख्तर से जमा हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रशांत शर्मा– **RAS**

प्रार्थी		अप्रार्थी
तहसीलदार आहोर	बनाम	पटवारी हल्का सेदरिया बालोतान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956

प्रकरण सं. 74/2019

निर्णय दिनांक 13-11-19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भू–अनिरीक्षक उम्मेदपुर व पटवारी हल्का सेदरिया बालोतान द्वारा जरिये तहसीलदार आहोर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा आलावा ए केवल नक्शा शीट मोमी ट्रेस नक्शा व नक्शा लटटा में दर्ज खसरा नम्बर 3/95 द्वितीय भू–प्रबन्ध में दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी में दर्ज नही है जिस कारण से जमाबंदी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करने के उपरान्त भी अपना जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। भू–अनिरीक्षक उम्मेदपुर व पटवारी हल्का सेदरियाबालोतान की रिपोर्ट अनुसार मौजा आलावा ए केवल नक्शा शीट मोमी ट्रेस नक्शा व नक्शा लटटा में दर्ज खसरा नम्बर 3/95 द्वितीय भू–प्रबन्ध में दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी में दर्ज नही है इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा शीट में दर्शाये गये खसर नम्बर 3/95 मिसल बन्दोबस्त में ईन्द्राज नही होने से विलोपित किया जाना उचित बताया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। मौजा आलावा ए केवल नक्शा शीट मोमी ट्रेस नक्शा व नक्शा लटटा में दर्ज खसरा नम्बर 3/95 द्वितीय भू–प्रबन्ध में दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी में दर्ज नही है इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा शीट में दर्शाये गये खसर नम्बर 3/95 मिसल बन्दोबस्त में ईन्द्राज नही होने से विलोपित किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

उपखण्ड अधिकारी, जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा आलावा ए के वर्तमान खसरा नम्बर 3/95 जो केवल नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है जबकि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज नही है को नक्शा ट्रेस व मोमी ट्रेस शीट से हटाकर दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आहोर

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner